संख्या:66/2021/1987जेएल/22-3-2021-200(1)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनाक: 03 दिसम्बर, 2021*

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 34671/प्रो0अनु0(2)-221/2020/होमलीव, दिनांक 01-11-2021 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध 37 सिद्धदोष बंदियों के दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात संलग्न सूची के अनुसार उन्हें 15 (पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु अनिवार्य रूप से मुक्त किया जाय। बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर दिया जाय कि:-

i. बंदी द्वारा आदर्श कारागार, लखनऊ में एक वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गयी हो और उसका कार्य एवं आचरण अच्छा हो।

ii. यदि कोई बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय के सामान्य आदेशों के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त किया गया है, उसने अभी कारागार में आत्म समर्पण नहीं किया है तो उसे गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

iii. यदि बंदी की सजा किसी अन्य प्रदेश में स्थित मा0 न्यायालय से हुयी हो तो उसको गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

iv. गृह अवकाश उन्हीं बंदियों को स्वीकृत किया जाय जो पैरोल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र हों अर्थात हत्या के मामले में 03 वर्ष एवं डकैती सहित हत्या के मामले में 04 वर्ष की अपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।

v. बंदी पूर्व वर्षो में स्वीकृत गृह अवकाश की समाप्ति के उपरान्त समय से निर्धारित तिथि पर कारागार में वापस हाजिर हुआ हो।

vi. बंदी के पास रहने के लिए घर हो उसके खाते में श्रम द्वारा अर्जित इतनी धनराशि जमा हो कि गृह अवकाश पर जाने तथा वापस आने के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि के पश्चात भी उसके खाते में कम से कम रू0-10-00 शेष रहें।

vii. जिन बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त किया जायगा उसकी सूचना अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ दी जायेगी कि बंदी के गृह अवकाश की अवधि में सम्बन्धित थाने के माध्यम से नियमित निगरानी एवं अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात उनकी समय से कारागार में वापसी सुनिश्चित करें।

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हो, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिया जाय।

3- उपरोक्त बंदियों को शासनादेश की एक प्रति उसके प्रस्तर-2 में अवकाश अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- बंदियों को अनिवार्य रूप से टोलियों के अनुसार एक साथ गृह अवकाश पर मुक्त किया जाय। ऐसा न करने पर शासन के आदेशों की अवहेलना माना जायेगा।

5- कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या: 66/2021/1987जेएल(1)/22-3-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि सूची सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 34671/ प्रो0अनु0(2)-221/2020/होमलीव, दिनांक 01-11-2021 के संदर्भ में।

3- गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या: 66/2021/1987जेएल/22-3-2021-200(1)/2021, दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 का संलग्नक।

क्र0	बंदी/पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	2	3	4
1	बली सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह	हमीरपुर	14741
2	महेन्द्र पुत्र श्री गजाधर	हमीरपुर	14909
3	छत्रपाल पुत्र श्री छविलाल	हमीरपुर	14912
4	दिवारीलाल पुत्र श्री गुलजारी लाल	फर्रूखाबाद	15123
5	सर्वेश सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह	हरदोई	15203
6	राजा भैया पुत्र श्री रामसरन	जालौन	15095
7	सुरेन्द्र पुत्र तुलसीराम धीमर	शाहजहांपुर	15111
8	अवधेश पुत्र गुरूदीन मुराऊ	सीतापुर	15592
9	कमलेश पुत्र श्री गुरूदीन मुराऊ	सीतापुर	15604
10	ओमकार पाल पुत्र श्री लल्लू राम पाल	जालौन	15996
11	संगमलाल उर्फ गोली पुत्र श्री सुकई	बाराबंकी	16009
12	दिनेश पुत्र श्री रामआसरे	बाराबंकी	16099
13	बरसाती पुत्र श्री भगवानदीन कोरी	बाराबंकी	17007
14	सुशील कुमार पुत्र श्री बुधराज	फतेहपुर	17023
15	अशोक कुमार पुत्र श्री रामदयाल राम	गाजीपुर	17028
16	जनवरी पुत्र श्री केशवराम	बाराबंकी	17112
17	मनोज कुमार पुत्र श्री राजनाथ	गाजीपुर	17113
18	कमला उर्फ कमलेश पुत्र श्री धनैया	महोबा	15982
19	राकेश उर्फ बबलू पुत्र श्री जगन्नाथ	कानपुर नगर	17142
20	शिव कुमार उर्फ शिब्बा पुत्र श्री रामकृष्ण उर्फ रामकिशन	गौतमबुद्धनगर	15265
21	विनोद तिवारी पुत्र श्री रामप्रकाश तिवारी	जालौन	17187
22	प्रदीप तिवारी पुत्र श्री रामप्रकाश तिवारी	जालौन	17188
23	बन्टी पुत्र श्री कुन्दन	बदायूं	17209
24	विजय बहादुर मल्ल पुत्र श्री राम करन मल्ल	देवरिया	17215
25	हरीश उर्फ बब्लू पुत्र श्री नेकपाल	बरेली	17225
26	चितरंजन कुर्मी पुत्र श्री सुशील कुर्मी	बलिया	17231
27	अभिषेक मिश्रा पुत्र श्री श्यामजी मिश्रा	बलरामपुर	17259
28	कृष्णपाल उर्फ केशपाल पुत्र श्री सुन्दर लाल	शाहजहांपुर	17272
29	कल्लू पुत्र श्री राम सरन काछी	जालौन	17301
30	राजीव पुत्र श्री ओम प्रकाश	मेरठ	17313
31	राम नेवाज पुत्र श्री भाईलाल	बाराबंकी	17348
32	चॉद मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल खालिक	बाराबंकी	17367
33	टुनटुन उर्फ जय प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री रमाशंकर लाल	मिर्जापुर	17369
34	राजू पुत्र श्री मोती	संत कबीर नगर	17372
35	अलगू गौड़ पुत्र श्री ज्ञानू गौड़	मिर्जापुर	17371
36	मनोज पुत्र श्री जगदीश जाट	मथुरा	17132
37	स्वामीनाथ उर्फ स्वामीदयाल पुत्र श्री मोहब्बत	उन्नाव	15132

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।